HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0016 **Date (दिनांक):** 30/07/2026 14:25

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/2018 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2022

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/07/2026 **Time (समय):** 14:25 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013 **Time (समय):** 30/07/2026 14:25 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 3 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): अम्बाला,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** निरीक्षक राजेश कुमार

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):
1976

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Occupation (व्यवसाय):**

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	State Vigilance Brueau Ambala, State Vigilance Brueau Ambala, ACB, Ambala, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	State Vigilance Brueau Ambala, State Vigilance Brueau Ambala, ACB, Ambala, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(i) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	कमल कुमार तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी अम्बाला		Father's Name: राम लाल

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

2	शीशपाल जिला कल्याण अधिकारी		Father's Name: महां सिंह
3	रुमाल कौर तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी बराडा		
4	दीपिका तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी बराडा		
5	सुषमा उप अधीक्षक कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी		
6	एजेंट सतीश कुमार उर्फ रवी		Father's Name: जसमेर सिंह
7	एजेंट समीर बक्शी उर्फ मन्नु		Father's Name: विजय कुमार
8	एजेंट जसविन्द्र सिह उर्फ बिन्दर पूर्व पंच		Father's Name: प्रहलाद सिह
9	एजेन्ट गुरचरण सिह		Father's Name: सन्तोख सिह
10	एजैट राजेश कुमार		Father's Name: जीत राम
11	एजेंट सुभाष चन्द		Father's Name: राम किशन
12	एजेंट राम कुमार		Father's Name: फकीरिया राम
13	एजेंट सुरेश कुमार		

14	एजैट अश्वनी उर्फ विक्की		Father's Name: बलवन्त राम
15	लवली कुमार		Father's Name: रामेश्वर कुमार
16	रामेश्वर		Father's Name: कृष्ण

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है-

सेवा मे

प्रबन्धक थाना

राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

श्रीमान जी,

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 03 दिनांक 15.06.2022 अम्बाला, कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के यादी क्रमांक 38/1/2022-3 चौकसी-1 दिनांक 31.05.2022 व कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांक 9539/आई-1/रा.चौ.ब्यु.(ह) दिनांक 15.06.2022 अनुसार पंजीकृत होकर इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी । उपरोक्त शिकायत के अतिरिक्त श्री राम स्वरूप पुत्र श्री जगरूप वासी गांव साहा, जिला अम्बाला द्वारा सामान आरोपों सहित दी गई एक अन्य शिकायत कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 14966/आई-1/रा.चौ.ब्यु.(ह) दिनांक 15.09.2022 अनुसार पडलात हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमे आरोप न. 01 यह कै कि वर्ष 2018-2019 से वर्ष 2021-22 तक हरियाणा सरकार द्वारा डा. अम्बेडकर भवन वर्गीकरण अनुदान योजना के तहत जिला कल्याण अधिकारी अम्बाला को SC वर्ग व BPL परिवारों के मकानों व छतों के लिये करोड़ों रुपये की राशि अलोट की गई और ऐजेंटो द्वारा सम्बधित 400 गांवों के पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र अप्लाई किये गये और ऐजेटो द्वारा जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला व तहसील कल्याण अधिकारी, बराडा कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों से मिल कर अपात्र व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली राशियों में से 40,000 रुपये ऐजेंटो द्वारा स्वय लेकर और 40,000 रुपये सम्बधित व्यक्तियों को दिये गये और सम्बंधित व्यक्तियों के एजेंटो द्वारा ही बैंक में नये खाते खुलवाए और खुले हुऐ खातों का ATM ऐजेंटो द्वारा अपने पास रख लिया ताकि सम्बंधित व्यक्तियों के खाता में अनुदान की राशि आने पर अपने हिस्सा की रिश्वत राशि लेकर उनके ATM दिये गये और TWO द्वारा मौका पर जा कर सम्बंधित पात्र व्यक्तियों के मकानों का निरीक्षण नहीं किया गया जो पात्र व्यक्तियों को उक्त योजना का लाभ न देकर अधिकतर अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देकर सरकार को करोडों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया आरोप न. 02 यह है कि डा. अम्बेडकर भवन वर्गीकरण अनुदान/योजना के तहत गांव ठाकुरपुरा तहसील बराड़ा के सैकड़ों परिवारों द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त की गई, जिनमें से पूर्णी देवी नें रूमाल कौर, तहसील कल्याण अधिकारी (TWO) बराडा व जिला कल्याण अधिकारी शीशपाल अम्बाला नें ऐजेटों के माध्यम से 25,000 रुपये और उनके बेटे लवली कुमार से 25,000 रुपये मकान वर्गीकरण अनुदान योजना के तहत लिये जबकि यह दोनों एक ही मकान में रह रहे है और माँ बेटा है। इसी प्रकार इसी गाँव के हरजिन्द्र सिह व समय सिहं दोनों भाई है जिनको 50,000-50,000 रुपये दिये गये तथा कर्म सिह व सजीव कुमार भी दोनों भाई है जिन्होंने भी एक ही मकान का ही अनुदान लिया है और मकानों की रिपेयर नहीं करवाई गई।

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

जिसकी जांच उप निरीक्षक निर्भय सिंह द्वारा की गई थी, जिस द्वारा जांच के दौरान प्राप्त किये गये दस्तावेजों, अंकित किये गये कथनों व आसूचना रिपोर्ट के अवलोकन आरोप न. 01 मे पाया गया कि, श्री कमल कुमार, जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला के पद पर दिनांक 16.05.20219 से 19.09.2019 तक व श्री कमल कुमार के तबादला उपरांत श्री शीश पाल, जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला के पद पर दिनांक 19.09.2019 से कार्यरत रहे है। श्रीमति दीपिका की कल्याण विभाग में नियुक्ति वर्ष 2012 के दौरान हुई थी जो कि वर्ष 2012 से जुलाई 2021 तक बतौर तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा कार्यरत रही है जिनके तबादला उपरांत श्री मति रूमाल कौर, तहसील कल्याण अधिकारी, नारायणगढ़ को माह अगस्त 2021 से बतौर तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।

कार्यालय आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियां व पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, चण्डीगढ़ का पत्र क्रमांक 463-स.क. (1)-09 दिनांक 01.03.2009 के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों अनुसार लाभार्थी के पास ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 50 वर्ग गज व शहरी क्षेत्रों में 35 वर्ग गज का प्लाट होना व ऐसे मकान को भी कच्चा माना जाये जिसकी दिवारे पिल्ली/खुरी हुई ईटों से बनी हुई हों। यदि किसी मकान की दो दीवारें कच्ची हो या छप्पर वाला मकान हो या कोई दूसरा मकान नही हो, छत घास फूस या कड़ियों की हो या जिन व्यक्तियों के पास एक ही पक्का कमरा हो और उसके शादीशुदा बहने उनके साथ रहते है, चाहे उनका राशनकार्ड संयुक्त परिवार का हो बशर्ते कि उनके पास 35/50 वर्ग गज का अन्य प्लाट हो अथवा जिनके पास पक्का मकान है परन्तु उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरुप मकान छोटा हो। बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया हो। या ऐसे व्यक्ति जिन्होंनें पहले विभाग से मकान स्कीम के अन्तर्गत मकान निर्माण/मुरम्मत हेतू अनुदान लिया हो वह 10 वर्ष पश्चात ही मकान की मुरम्मत/बढ़ौतरी आदि हेतु अनुदान के पात्र होगें। जिन्होंने पहले अनुदान न लिया हो, उनकी स्थिति में यह शर्तें लागू नहीं होगी । लाभार्थी बी.पी.एल. सूची में हो को वर्ष 2017 तक 25,000/- रूपये दिये जानें का प्रावधान किया गया था। इसके पश्चात कार्यालय प्रधान सचिव हरियाणा सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 1034-SW(1) 2018 दिनांक 10.07.2018 अनुसार जारी करते हुये उपरोक्त योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली 25,000/- रूपये की राशि को 50,000/- रूपये कर दिया गया व प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग द्वारा अपनें कार्यालय के पत्र क्रमांक 270-स.क.(1)-2020 दिनांक 18.03.2020 अनुसार निदेशक, अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा व सभी जिला कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये थे कि भविष्य में लाभार्थी द्वारा डा. भीम राव अमबेडकर मकान नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत किये गये

आवेदन के साथ पटवारी की बजाय सम्बंधित ग्राम सचिव द्वारा तसदीक किया हुआ मालिकाना हक का प्रमाण स्वीकार किया जाये। इसके पश्चात पत्र क्रमांक 391 स.क. (1) 2021दिनांक 20.08.2021 अनुसार दी जाने वाली राशि को 50,000/- रूपये से बढाकर 80,000/- रूपये की गई।

उपरोक्त शर्तो/निर्धारित मापदण्ड पूरा करनें वाले लाभार्थी द्वारा विभाग की आन-लाईन साईट पर आवदेन करेगा। आवेदन से सम्बंधित सभी प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत आवेदन आगामी कार्यवाही हेतू सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर चला जायेगा । सम्बधित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा लाभार्थी के आवेदन से सम्बंधित सभी दस्तावेजों का भली-भातिं निरीक्षण करके लाभार्थी के निवास स्थान का मौका पर निरीक्षण करेगा । लाभार्थी के द्वारा आवेदन के साथ सलंग्न दस्तावेजों व लाभार्थी के रिहायशी स्थान/मकान का निरीक्षण करने उपरांत ही तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया जायेगा।

वर्ष 2018-2019 में 1367 लाभ पात्रों, वर्ष 2019-20 में 1045 लाभपात्रों, वर्ष 2020-2021 में 819 लाभ पात्रों व वर्ष 2021-2022 में 691 लाभपात्रों को सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों की सिफारिश/रिपोर्ट पर श्री कमल कुमार व श्री शीश पाल दोनों तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला द्वारा आवेदकों के आवेदनों को स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 2018-19 में 13 स्वीकृतियां देकर 1367 लाभार्थियों के खातों में मुबलिग 5,02,00,000/- रूपये, वर्ष 2019-20 में 10 स्वीकृतियां देकर 1045 लाभार्थियों के खातों में मुबलिग 5,20,70,000/- रूपये, वर्ष 2020-21 में 20 स्वीकृतियां देकर 819 लाभार्थियों के खातों में मुबलिग 4,09,54,000/- रूपये व वर्ष 2021-22 में 11 स्वीकृतियां देकर 691 लाभार्थियों के खातों में 2,71,10,000/- रूपये कुल राशि 17,03,34000/- (सतरह करोड़, तीन लाख, चौंतिस हजार) रूपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से ट्रांसफर की जानी पाई गई है।

तहसील बराड़ा, साहा व नारायणगढ़, जिला अम्बाला में उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले गांव दिनारपुर, तोलांवाली, कम्बास, कम्बासी, सुरगल व ठाकुरपुरा के लाभार्थियों, एजैंट व जिला कल्याण विभाग, अम्बाला के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित लगभग 70 कथन अंकित किये गये। लाभार्थियों के अंकित किये गये कथनों अनुसार कुछ लाभार्थियों द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिये स्वंय आवेदन न करके दलालों के माध्यम से योजना पोर्टल पर आवेदन किया था। एजैंटो द्वारा ही आगामी कार्यवाही की गई।

जांच के दौरान शामिल जांच किये गये लाभार्थियों में से लगभग 59 लाभार्थियों के आवेदन फार्म निदेशालय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा से स्कीम पोर्टल से प्राप्त किये

गये । आवेदनों में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं की पालना की गई है या नही, के सम्बंध में जांच करवानें के लिये जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला को निदेशक, अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा से आवेदनों के सम्बंध में प्राप्त ई-मेल तथा आवेदन फाईल कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला को भेजी गई। जिस पर उनके कार्यालय का पत्र क्रमांक 2025/1912 दिनांक 06.06.2025 प्राप्त हुआ। पत्र अनुसार अवगत करवाया गया है कि उक्त 59 आवेदन फार्मों में से केवल 04 आवेदन फार्म ही विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुरूप पाये गये हैं व शेष 55 आवेदन फार्म विभाग द्वारा जारी के गई अधिसूचनाओं/दिशा-निर्देशों के अनुरूप नही हैं। आवेदन फार्म अधूरे होनें पर भी सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा उक्त आवेदनों को अनुदान राशि रीलीज करवानें के लिये जिला कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर प्रेषित कर दिया गया व जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भी उक्त आवेदनों की जांच किये बिनां अधूरे आवेदनों पर ही अनुदान राशि जारी की जानी पाई गई है। उक्त 59 आवेदन फार्मों को जिन-जिन तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा स्वीकृत करते हुये जिला कल्याण अधिकारी के योजना पोर्टल पर भेजा गया उन बारे विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.स. लाभार्थी का नाम स्वीकृति संख्या व वित वर्ष उप अधीक्षक कार्यालय तहसील कल्याण अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी राशि बैंक खाता संख्या

01. लाभार्थी रविदत पुत्र श्री जयपाल वासी गांव ठाकुरपुरा। 28/2020-21 सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 81131900007226

02. लाभार्थी हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिहं वासी गांव ठाकुरपुरा। 03/2021-22 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- एच.डी.एफ.सी. 06541200001025

03. लाभार्थी सतपाल पुत्र झण्डु वासी गांव ठाकुरपुरा। 03/2021-22 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- पंजाब एण्ड सिध बैंक 00151000107823

04. लाभार्थी रामेशवर पुत्र कृष्ण वासी गांव ठाकुरपुरा। 02/2021-22 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 81131700081767

05. लाभार्थी समेह सिहं पुत्र श्री अर्जुन सिहं वासी गांव ठाकुरपुरा। 02/2021-22 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 81131700081590

06. लाभार्थी कृष्ण कुमार पुत्र श्री मंगत राम वासी गांव ठाकुरपुरा। 02/2021-22 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 81131900002568

07. लाभार्थी सन्जीव कुमार पुत्र श्री दसौंधी राम वासी गांव ठाकुरपुरा। 06/2021-22 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक 4455000100087631

08. लाभार्थी कर्म सिहं पुत्र सौंधी राम वासी गांव ठाकुरपुरा। 20/2021-22 सुषमा रानी दीपिका कमल कुमार 50000/- सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 82241700000406

09. लाभार्थी अली हसन पुत्र जुलफकार अली वासी गांव ठाकुरपुरा। 20/2021-22 सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- आई.डी.बी.आई. 1303104000067926

10. लाभार्थी उषा रानी पत्नी श्री ईकबाल वासी गांव सुरगल। 07/2019-20 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया 313555408

11. लाभार्थी सिन्द्रो देवी पत्नी श्री सतपाल सिहं वासी गांव लण्डा। 07/2019-20 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- पंजाब एण्ड सिंध बैंक 01311000004981

12. लाभार्थी जसवन्ती देवी पत्नी श्री महाबीर वासी गांव दुखेड़ी। 03/2019-20 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- ईण्डियन बैंक 6114337772

13. लाभार्थी उषा रानी पत्नी तरसेम वासी गांव दुखेरी। 04/2019-20 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- ईण्डियन बैंक 804319412

14. लाभार्थी राजेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश वासी गांव पिलखनी। 10/2019-20 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 82060100046601

15. लाभार्थी गुरदेवी पत्नी महेन्द्र सिहं वासी गांव दिनारपुर। 05/2018-19 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- भारतीय स्टेट बैंक 32385564959

16. लाभार्थी दलीप सिंह पुत्र खण्डा सिहं वासी गांव दिनारपुर। 05/2018-19 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- एक्सिस बैंक 914010041721969

17. लाभार्थी शीशपाल पुत्र करतारा राम वासी गांव दिनारपुर। 07/2019-20 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- एक्सिस बैंक 914010037935345

18. लाभार्थी जोगिन्द्रो देवी पत्नी दया राम वासी गांव दिनारपुर। 07/2019-20 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- एक्सिस बैंक 913010014332506

19. लाभार्थी अमरजीत पुत्र बलजीत वासी गांव दिनारपुर। 07/2019-20 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- एक्सिस बैंक 1918010019155202

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

20. लाभार्थी निर्मला देवी पत्नी फूल चन्द वासी गांव दिनारपुर। 07/2019-20 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- एक्सिस बैंक 913010013881548
21. लाभार्थी रमेश कुमार पुत्र हरबंस सिहं वासी गांव दिनारपुर। 25/2020-21 सुषमा रानी प्रमोद शीशपाल 50000/- भारतीय स्टेट बैंक 33624643484
22. लाभार्थी हरकेश सिंह पुत्र हरबंस सिहं वासी गांव दिनारपुर । 25/2020-21 सुषमा रानी प्रमोद शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक 0014001300003420
23. लाभार्थी सुषमा रानी पत्नी गुरनाम सिहं वासी गांव दिनारपुर। 25/2020-21 सुषमा रानी प्रमोद शीशपाल 50000/- एक्सिस बैंक 914010035944031
24. लाभार्थी निर्मला देवी पत्नी रविन्द्र कुमार वासी गांव दिनारपुर। 24/2020-21 सुषमा रानी प्रमोद शीशपाल 50000/- पंजाब एण्ड सिध बैंक 01311000008969
25. लाभार्थी हरविन्द्र कौर पत्नी रमेश कुमार वासी गांव दिनारपुर। 24/2020-21 सुषमा रानी प्रमोद शीशपाल 50000/- एक्सिस बैंक 915010016900576
26. लाभार्थी सन्तोष पत्नी सरवन वासी गांव दिनारपुर। 26/2020-21 सुषमा रानी प्रमोद शीशपाल 50000/- एक्सिस बैंक 914010035944235
27. लाभार्थी निर्मला देवी पत्नी फूल चन्द वासी गांव दिनारपुर। 28/2020-21 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- एक्सिस बैंक 913010013881548
28. लाभार्थी रमेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश वासी गांव दिनारपुर। 02/2021-22 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- एक्सिस बैंक 914010043082132
29. लाभार्थी सुदेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश वासी गांव दिनारपुर। 02/2021-22 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- एक्सिस बैंक 914010017633043
30. लाभार्थी राम रतन पुत्र गैदा राम वासी गांव तोलांवाली। 06/2021-22 सुषमा रानी प्रमोद शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004000100050937
31. लाभार्थी कृष्ण लाल पुत्र राम स्वरूप वासी गांव तोलांवाली। 03/2020-21 सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004000100016021
32. लाभार्थी रिन्कु कुमार पुत्र जयपाल वासी गांव तोलांवाली। 03/2020-21 सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 50000/- एच.डी.एफ.सी.

50100142288592
33. लाभार्थी कमलेश रानी पत्नी पूर्ण चन्द वासी गांव तोलांवाली। 03/2020-21 सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
10040017000125203

34. लाभार्थी सुपाली देवी पत्नी महेन्द्र वासी गांव तोलांवाली। 03/2020-21 सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004001700008508
35. लाभार्थी जसबीर कुमार पुत्र जरनैल सिहं वासी गांव तोलांवाली। 03/2020-21 सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004000105848957
36. लाभार्थी साविता पत्नी सुशील कुमार वासी गांव तोलांवाली। 03/2020-21 सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004000105893896
37. लाभार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द वासी गांव तोलांवाली। 06/2020-21 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- भारतीय स्टेट बैंक
551509669008
38. लाभार्थी सुरिन्द्र पुत्र राम प्रकाश वासी गांव कम्बास 18/2020-21 सुषमा रानी प्रमोद शीशपाल 80000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004001700033889
39. लाभार्थी सुरिन्द्र पुत्र जागेश्वर वासी गांव कम्बासी। 2021-22 सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- सेन्ट्रल बैंक आफ भारत
3263836421
40. लाभार्थी सुनिता देवी पत्नी गुलजार सिहं वासी गांव कम्बासी। 10/2019-20 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- बैक आफ बारोदा
48088100000508
41. लाभार्थी कुसम देवी पत्नी सतीश कुमार वासी गांव कम्बासी। 28/2020-21
सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- भारतीय स्टेट बैंक
36525984821
42. लाभार्थी सुनीता देवी पत्नी रोशन लाल वासी गांव कम्बासी। 28/2020-21 सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक

1004000105830444
43. लाभार्थी सुरिन्द्र कुमार पुत्र फूल चन्द वासी गांव कम्बासी। 06/2021-22
सुषमा रानी प्रमोद शीशपाल 50000/- भारतीय स्टेट बैंक
33442720432
44. लाभार्थी सलिन्द्र पुत्र फूल चन्द वासी गांव कम्बासी। 06/2021-22
सुषमा रानी प्रमोद शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004001700014635
45. लाभार्थी गुलजारी देवी पत्नी कली राम वासी गांव कम्बासी। 09/2021-22
सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004001700012770
46. लाभार्थी मोहिन्द्र पाल पुत्र फूल चन्द वासी गांव कम्बासी। 09/2021-22
सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004001700017696
47. लाभार्थी शिक्षा देवी पत्नी रामेश्वर दास वासी गांव कम्बासी। 17/2021-22
सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004000105891685
48. लाभार्थी लक्ष्मी देवी पत्नी जरनैल सिहं वासी गांव कम्बासी। 17/2021-22
सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004001700009190
49. लाभार्थी मोनिका शर्मा पत्नी बलदेव कुमार वासी गांव कम्बासी। 17/2021-22
सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
3716522582
50. लाभार्थी प्रवीण पत्नी हरीश कुमार वासी गांव कम्बासी। 17/2021-22
सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004000105862780
51. लाभार्थी सीमा रानी पत्नी मंगेश कुमार वासी गांव कम्बासी। 17/2021-22

सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- कैनंरा बैंक
4747101002277
52. लाभार्थी बोहती देवी पत्नी सरदारा राम वासी गांव कम्बासी। 17/2021-22
सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- बैंक आफ बारौदा

48088100000738
53. लाभार्थी छोटन लाल पुत्र बचना राम वासी गांव कम्बासी। 17/2021-22
सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- आरिंयन्टल बैंक आफ कामर्स
01622191006907
54. लाभार्थी अजमेरो देवी पत्नी कर्म चन्द वासी गांव कम्बासी। 17/2021-22
सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- बैंक आफ बारौदा
48080100005022
55. लाभार्थी रीना देवी पत्नी धर्मेन्द्र लाल वासी गांव कम्बासी। 17/2021-22
सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 80000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004001700057603
56. लाभार्थी कुसम लता पत्नी गुलाब सिहं वासी गांव कम्बासी। 11/2018-19
सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004001700008702
57. लाभार्थी प्रमाली देवी पत्नी गैंदा राम वासी गांव कम्बासी। 11/2018-19
सुषमा रानी रूमाल कौर शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004000105830453
58. लाभार्थी नरेश कुमार पुत्र करतार सिहं वासी गांव कम्बासी। 32/2020-21
सुषमा रानी दीपिका शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
1004001700021088
59. लाभार्थी ममता पत्नी कर्मबीर वासी गांव कम्बासी। 06/2021-22
सुषमा रानी प्रमोद शीशपाल 50000/- पंजाब नैशनल बैंक
100400170058286

उपरोक्त दर्शाये गये तीनों तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा अग्रेषित किये गये आवेदन पत्रों को श्रीमति सुषमा रानी, उप अधीक्षक द्वारा चैक करनें उपरांत श्री कमल कुमार व श्री शीशपाल तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त स्वीकृतियां देकर उपरोक्त 59 लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि 33,40,000/- ट्रासंफर की जानी पाई गई है। जबकि उपरोक्त 59 लाभार्थियों में से 55 लाभार्थियों के आवेदन फार्मो के साथ अधूरे दस्तावेज पाये गये है।

लाभार्थियों द्वारा किये गये आन-लाईन आवेदनों के पश्चात लाभार्थियों के मकानों की दशा जाननें के लिये श्रीमति रूमाल कौर, श्री प्रमोद कुमार व श्रीमति दीपिका, तीनों तत्कालीन तहसील कल्याण

अधिकारी, नारायणगढ़/बराड़ा द्वारा विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों अनुसार मौका पर जाकर तसदीक की जानी थी लेकिन इनके द्वारा मौका पर न जाकर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों अनुसार ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृति हेतू जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला के पास भेजी जानीं पाई गई है, क्योंकि शामिल जांच किये गये सभी लाभार्थियों द्वारा अपनें-अपनें कथनों में अकिंत करवाया है कि उनके द्वारा जब पोर्टल पर आन-लाईन आवेदन किये गये थे उस समय उनके मकानों को किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा चैक नही किया गया था व इसके पश्चात जब अनुदान राशि उनके खाता में प्राप्त हो गई थी। खाता में राशि प्राप्त होनें पश्चात भी किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उनके मकानों को चैक नही किया गया। लाभार्थियों से कल्याण विभाग द्वारा न ही तो उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा गया व न ही उनके द्वारा विभाग को कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र कल्याण विभाग को दिया गया है। पूर्व जांच अधिकारी द्वारा मौका पर जाकर लाभार्थियों के मकानों का निरीक्षण किया गया व फोटो ग्राफ लिये गये । फाईल में सलंग्न मकानों के फोटो ग्राफ की पहचान करते हुये लाभार्थियों द्वारा स्वंय हस्ताक्षर किये गये है जिस बारे लाभार्थियों द्वारा अपनें-अपनें कथनों में भी अंकित करवाया गया है। फोटोग्राफ अनुसार कुछ लाभार्थियों के मकान सरकार द्वारा निर्धारित किये गये माप-दण्ड के अनुसार (कच्चा मकान/कच्ची छत/कच्ची दिवार) होनें नही पाये गये। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा एजैंटो से मिलीभगत करके अपात्र आवेदकों के आवेदनों को स्वीकृत किया गया है तथा उनके बैंक खातों में उक्त योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि डाली गई है।
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, अनुसूचित जातियां व पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा जारी पत्र क्रमांक 247-स.क. (1) -2017 दिनांक 28.02.2017 में स्पष्ट है कि सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की वैरीफिकेशन करनें उपरांत ही अपनी सिफारिश दी जायेगी। इसी पत्र के क्रम संख्या 03 में दी गई हिदायत अनुसार प्रार्थी द्वारा राशि प्रयोग करनें उपरांत प्रयोग प्रमाण पत्र सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जायेगा लेकिन जांच के दौरान पाया गया है कि लाभार्थियों द्वारा राशि प्रयोग करनें के सम्बंध में श्रीमति दीपिका, तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 01 दिनांक 29.05.2020 व पत्र क्रमांक 139 दिनांक 30.07.2021 तथा श्रीमति रूमाल कौर तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा द्वारा पत्र क्रमांक 77 दिनांक 24.05.2022 अनुसार स्वंय के ही प्रयोगिता प्रमाण पत्र जिला कल्याण अधिकारी को सौंपे गये है। प्रयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्रलेख फाईल न. 01 के पेज न. 418 व 419 पर लगी देखी जा सकती हैं। उक्त तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रयोगिता प्रमाण पत्रों पर कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला द्वारा की गई

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

आगामी कार्यावाही व तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा के प्रेषण रजिस्टर(Dispatch Register) वर्ष 2020, वर्ष 2021 व वर्ष 2022 की सत्यापित छायाप्रतियां प्राप्त करनें के लिये पत्राचार किया गया। जिस पर कार्यालय तहसील कल्याण अधिकारी, अम्बाला के पत्र क्रमांक 2025/390 दिनांक 04.02.2025 के क्रम संख्या 03 व पत्र के साथ सलंग्न श्रीमति सुषमा रानी, उप अधीक्षक की रिपोर्ट अनुसार कोई भी प्रयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय में डायरी नहीं हुआ है व न ही प्रयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय में प्राप्त हुआ है तथा इसी पत्र के क्रम संख्या 04 में अंकित किया है कि प्रेषण रजिस्टर (Dispatch Register) वर्ष 2021, 2022 व 2022 कार्यालय तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा में उपलब्ध नही है। पत्र व श्रीमति सुषमा रानी, उप अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रतियां प्रलेख फाईल न. 01 के पेज न. 405 से 408 पर लगी देखी जा सकती हैं। उपरोक्त दोनों तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा स्वंय के दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के विपरीत देनें पाये गये हैं क्योंकि कार्यालय निदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकारिता अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग हरियाणा, पंचकुला द्वारा अपनें कार्यालय के पत्र क्रमांक स-4/2025/2214 दिनांक 07.05.2025 अनुसार अवगत करवाया गया है कि सरकार द्वारा उक्त स्कीम के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक 247-स.क. (1) 2017 दिनांक 28.02.2017 वित्तिय विविक्षा की क्र.स. 03 अनुसार प्रार्थी द्वारा राशि का सदुपयोग करनें उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जाता है। डा. भीम राव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण स्कीम के तहत जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा अपनें स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा नही कर सकते।

लाभार्थियों के कथनानुसार उनके खातों में आई अनुदान राशि में से एजैटों द्वारा निम्न प्रकार से आधी अनुदान राशि प्राप्त की जानी ब्यान हुई हैः-

लाभार्थी श्रीमति उषा रानी के पति श्री ईकबाल वासी गांव सुरगल, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला के कथनानुसार इस योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि 50,000/-रूपये प्राप्त करनें के लिये उसनें श्री कमल धीमान, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी अम्बाला से मिलकर 50,000/- रूपये स्वीकृत करवाये और उसमें से श्री कमल कुमार द्वारा 25000/-रूपये कैश में लिये हैं।

लाभार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश वासी गांव कम्बास डा. कम्बासी, थाना बराड़ा जिला अम्बाला के कथनानुसार उसे इस योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि 80,000/- रूपये दिलवानें के लिये एजैंट सतीश कुमार उर्फ रवि पुत्र जसमेर सिहं वासी गांव अधोया मुसलमान नें अनुदान राशि में से 50

प्रतिशत स्वंय लेनें की शर्त पर सुरेन्द्र कुमार के सभी दस्तावेज लेकर स्वंय आन-लाईन आवेदन किया और प्रमोद कुमार कल्याण अधिकारी से मिलकर राशि 80,000/- रूपये सुरेन्द्र कुमार के बैंक खाता में ट्रांसफर करवा कर दिनांक 18.12.2021 को 20 हजार रूपये व दिनांक 19.12.2021 को भी 20 हजार रूपये कैश ले लिये थे ।

लाभार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जागेश्वर यादव वासी गांव मझौल डाकखाना सुखपुर, तहसील व जिला सुपौल हाल वासी गांव कम्बासी, थाना बराड़ा, जिला अम्बाला के कथनानुसार एजैंट समीर बक्शी उर्फ मन्नु पुत्र विजय कुमार व जसविन्द्र सिंह उर्फ बिन्दर पूर्व पंच पुत्र श्री प्रहलाद सिंह वासीयान वासी गांव कम्बासी, थाना बराडा, जिला अम्बाला को अनुदान राशि 80,000/- रूपये दिलवानें के लिये अनुदान राशि में से 50 प्रतिशत स्वंय लेनें की शर्त पर सुरेन्द्र कुमार के सभी दस्तावेज लेकर स्वंय आन-लाईन आवेदन किया और रूमाल कौर, तहसील कल्याण अधिकारी से मिलकर राशि 80,000/- रूपये सुरेन्द्र कुमार के बैंक खाता में ट्रांसफर करवा कर 40 हजार रूपये दोनों नें कैश लिये हैं। लाभार्थी सुरेन्द्र कुमार से उसके बी.पी.एल. कार्ड, आधार कार्ड, बैंक कॉपी वगैरा की छायाप्रतिया लेकर समीर बक्शी वासी गांव कम्बासी को देनें बारे व सुरेन्द्र का आवेदन फार्म समीर बक्शी द्वारा स्वंय सी.एच.सी. सैन्टर अधोया में आन-लाईन करनें बारे जसविन्द्र सिहं नें अपनें कथन में ब्यान किया है।

लाभार्थी श्रीमति पुष्पा रानी पत्नी श्री ईश्वर कुमार वासी गांव तोलांवाली डा0 कम्बासी थाना बराड़ा के कथनानुसार श्याम लाल पुत्र किरपा राम वासी मौजगढ़, थाना बराडा, जिला अम्बाला को अनुदान राशि 50,000/- रूपये दिलवानें के लिये 30,000/- रूपये स्वंय लेनें की शर्त पर पुष्पा रानी के सभी दस्तावेज लिये थे। श्याम लाल द्वारा पुष्पा रानी से 2000/- रूपये व 28,000/- रूपये लेकर लेकर अमृत लाल पुत्र चमेला राम वासी गांव हसन पुर, तहसील नारायणगढ़ को देनें ब्यान हुये हैं। जिस पर अमृत लाल को शामिल जांच किया गया जिसनें बतलाया कि यह राशि उसनें अपनें ताया के लड़के धर्मराज को रूमाल कौर को देनें के लिये दे दी थी। अमृत लाल के कथनानुसार धर्मराज की कुछ माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है।

लाभार्थी अली हसन पुत्र जुलफार अली वासी गांव ठाकुर पुरा थाना मुलाना, जिला अम्बाला को अनुदान राशि 80,000/- रूपये दिलवानें के लिये आवेदन करवाया था। अली हसन के खाता में राशि 80,000/- रूपये प्राप्त होने पश्चात अकरम खान के कहे अनुसार लाभार्थी अली हसन द्वारा अकरम खान को 50,000/- रूपये आन-लाईन भेजे थे। अकरम खान द्वारा उस राशि में से 40,000/- रूपये अमनदीप पुत्र बलबीर वासी गांव साबांपुर को आन-लाईन भेजे। अमनदीप के कथनानुसार उसके द्वारा राशि

40,000/- रूपये गुरचरण सिहं पुत्र श्री सन्तोख सिहं वासी गांव साबांपुर, थाना मुलाना, जिला अम्बाला को दिये गये थे। इसके पश्चात गुरचरण द्वारा राशि 40,000/- रूपये रूमाल कौर को अम्बाला में उसके कार्यालय में जाकर कैश दे दिये थे तथा रूमाल कौर द्वारा गुरचरण सिहं को 2,000/- रूपये वापिस कर दिये गये थे।

लाभार्थी श्री कर्म सिहं पुत्र श्री सौंदी राम वासी गांव ठाकुरपुरा, थाना मुलाना, जिला अम्बाला नें एजैंट राजेश कुमार पुत्र श्री जीत राम वासी गांव खानपुर ब्राहमणा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला के कहे अनुसार व राजेश कुमार द्वारा 50 प्रतिशत राशि स्वय लेनें की शर्त पर आन-लाईन आवेदन करवाया था। कर्म सिहं के बैंक खाता में राशि 50,000/- रूपये प्राप्त होनें पश्चात कर्म सिह द्वारा बैंक से राशि 25,000/- रूपये निकाल कर कैश राजेश को दे दिये थे। राजेश द्वारा यह 25,000/- रूपये किस व्यक्ति को दिये गये, के बारे कर्म सिहं नें कुछ नही बतलाया। राजेश को शामिल जांच करनें के लिये बार-बार रजिस्ट्रड नोटिसों के माध्यम से सूचित किया गया लेकिन वह शामिल जांच नही हुआ।

लाभार्थी रजत के पिता श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री राम किशन वासी गांव सुरगल, थाना नारायणगढ़, जिला अम्बाला के कथनानुसार उसके लड़के रजत के खाता में उक्त योजना के अन्तर्गत राशि 50,000/- रूपये प्राप्त होने के पश्चात राशि 20,000/- रूपये, रूमाल कौर को उसके कार्यालय नारायणगढ में कैश दिये थे। सुभाष चन्द के कथनानुसार उस द्वारा जब रूमाल कौर को यह राशि दी गई तो रूमाल कौर के द्वारा 1000/- रूपये वापिस सुभाष को दिये गये थे तथा यह भी अंकित करवाया है कि सुभाष चन्द नें लाभार्थी श्री सुरेशपाल @शशि पुत्र श्री रूलदा राम वासी गांव नन्दुवाली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करनें के लिये आन-आवेदन किया गया था। सुरेशपाल के खाता में राशि 50,000/- रूपये प्राप्त होने के पश्चात एजैंट सुभाष चन्द के 25,000/- रूपये कैश दिये थे। सुभाष चन्द द्वारा जब यह राशि 25,000/- रूपये रूमाल कौर को दी गई इस राशि में से 1000/- रूपये रूमाल कौर द्वारा सुभाष को वापिस दिये गये।

सतपाल नें लाभार्थी सुरेश पाल उर्फ शशि व एजैंट सुभाष चन्द उपरोक्त के माध्यम से आवेदन किया था। उसके के खाता में राशि 50,000/- प्राप्त होने के पश्चात उसनें सुरेश पाल को 25,000/- रूपये कैश दिय गये। इसके पश्चात सुरेश के कथनानुसार सतपाल से प्राप्त की गई राशि 25,000/- रूपये सुभाष चन्द पुत्र श्री राम किशन वासी गांव सुरगल, थाना नारायणगढ़, जिला अम्बाला को कैश दिये गये। एजैंट सुभाष के कथनानुसार उसके द्वारा उक्त राशि 25000/- रूपये रूमाल कौर को दिये थे जिस पर इस राशि में से 1000/- रूपये रूमाल कौर द्वारा सुभाष को वापिस कर दिये गये।

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

रवि दत्त पुत्र जयपाल वासी गांव ठाकुरपुरा के कहे अनुसार समें सिंह पुत्र अर्जुन सिहं वासी गांव ठाकुरपुरा, जिला अम्बाला द्वारा आन-लाईन आवेदन किया गया था। समें सिहं के खाता में राशि 50,000/- रूपये प्राप्त होनें के पश्चात समें सिहं द्वारा रवि दत्त को राशि 25000/- रूपये कैश दिये थे व रविदत्त नें यह 25,000/- रूपये राम कुमार पुत्र श्री फकीरिया राम वासी गांव बिंजल पुर, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला को दिये गये। राम कुमार द्वारा यह राशि 25,000/- रूपये प्रमोद कुमार, (मृतक) तहसील कल्याण अधिकारी को दिये गये।

रवि दत्त पुत्र जयपाल वासी गांव ठाकुर पुरा के कहे अनुसार कृष्ण पुत्र श्री मांगे राम वासी गांव ठाकुरपुरा, जिला अम्बाला द्वारा आनलाईन आवेदन किया गया था। कृष्ण के खाता में राशि 50,000/- रूपये प्राप्त होनें पश्चात कृष्ण द्वारा राशि 25000/- रूपये कैश रवि दत्त पुत्र जयपाल वासी गांव ठाकुर पुरा के दी गई व रवि द्वारा यह राशि राम कुमार पुत्र श्री फकीरिया राम वासी गांव बिंजल पुर, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला को दी गई । राम कुमार नें राशि 25,000/- रूपये प्रमोद कुमार, (मृतक) तहसील कल्याण अधिकारी को देनें पाये गये है।

रवि दत्त पुत्र जयपाल वासी गांव ठाकुर पुरा के कहे अनुसार अवनीश पुत्र किशना राम वासी गांव ठाकुर पुरा, जिला अम्बाला द्वारा आन-लाईन आवेदन किया गया था। अवनीश के खाता में राशि 50,000/- रूपये प्राप्त होनें पश्चात अवनीश नें राशि 25,000/- रूपये रवि दत्त पुत्र जयपाल वासी गांव ठाकुर पुरा को कैश दी गई। रवि नें यह राशि 25,000/- रूपये राम कुमार पुत्र श्री फकीरिया राम वासी गांव बिंजल पुर, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला को कैश दिये गये व राम कुमार नें राशि 25,000/- रूपये प्रमोद कुमार, (मृतक) तहसील कल्याण अधिकारी को देनें पाये गये है।

रवि दत्त पुत्र जयपाल वासी गांव ठाकुर पुरा के कहे अनुसार रामेश्वर पुत्र कृष्ण वासी गांव ठाकुरपुरा जिला अम्बाला नें आन-लाईन आवेदन किया था। रामेश्वर के खाता में राशि 50,000/- रूपये प्राप्त होनें के पश्चात रामेश्वर नें राशि 25,000/- रूपये रवि दत्त को दी गई व रवि नें यह राशि 25,000/- रूपये राम कुमार पुत्र श्री फकीरिया राम वासी गांव बिंजल पुर, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला को दी गई। राम कुमार के द्वारा यह राशि 25,000/- रूपये प्रमोद कुमार, (मृतक) तहसील कल्याण अधिकारी को देनें पाये गये है।

सुरेश कुमार वासी गांव जलबेहड़ा जिला अम्बाला के कहे अनुसार श्री संजीव कुमार पुत्र श्री सौंदी राम वासी गांव ठाकुरपुरा थाना मुलाना, जिला अम्बाला द्वारा आन-लाईन आवेदन किया गया था। संजीव कुमार के खाता में राशि 50,000/- रूपये प्राप्त होने पश्चात सजीव द्वारा राशि 20,000/- रूपये सुरेश

कुमार को दिये गये । सुरेश कुमार को शामिल जांच करनें के प्रयास किये गये लेकिन सुरेश कुमार के पिता के नाम बारे स्पष्ट न होनें के कारण शामिल जांच नही किया जा सका।

संजीव पुत्र श्री बलवन्त राम वासी म.न. 127, गांव धूलकोट, थाना बलदेव नगर, जिला अम्बाला के कहे अनुसार उक्त योजना का लाभ लेने के लिये लवली पुत्र श्री रामेश्वर वासी गांव ठाकुरपुरा थाना मुलाना, जिला अम्बाला नें स्वंय व अपनी माता श्री मति पूर्णि देवी का आनलाईन आवदेन किया था। लवली व उसकी माता पूर्णी देवी के खाता में राशि 25-25 हजार रूपये प्राप्त होनें पर रवि नें दिनांक 21.05.2018 को अपनी माता पूरनी के साथ जाकर उसके कार्पोरेशन बैंक, नोहनी खाता से राशि 25,000/- रूपये निकलवा लिये थे । यह राशि 25,000/- रूपये संजीव के मांगने पर उसे साहा में दे दिये थे। संजीव नें यह राशि 25,000/- रूपये अपनें भाई अश्वनी उर्फ विक्री को दे दी तथा अश्वनी नें 25,000/- हजार रूपये प्रमोद (मृतक) तहसील कल्याण अधिकारी को देने पाये गये हैं।

हरजिन्द्र सिहं पुत्र श्री अर्जुन सिहं वासी गांव व डाकखाना ठाकुरपुरा तहसील बराड़ा जिला अम्बाला के कथनानुसार सुरेश कुमार उर्फ शशि वासी गांव नन्दोआली के कहे अनुसार अपनें दस्तावेज सुरेश कुमार उर्फ शशि को दे दिये थे। माह जुलाई 2021 में हरजिन्द्र के खाता में राशि 50,000/- रूपये आनें पर हरजिन्द्र नें दिनांक 07.07.2021 को राशि 26,000/- रूपये अपनें बैंक खाता से निकालकर सुरेश कुमार को कैश देने पाये गये है। सुरेश कुमार द्वारा हरजिन्द्र से ली गई राशि किस व्यक्ति को दी गई, के बारे अपनें कथन में स्पष्ट नही किया है।

इसी प्रकार जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग चण्डीगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 463-स.क.(1)-09 दिनांक 01.03.2009 के क्रम संख्या 07 व अंकित किया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होनें पहले विभाग से मकान स्कीम के अन्तर्गत मकान निर्माण/मुरम्मत हेतू अनुदान लिया हो वह 10 वर्ष पश्चात ही मकान की मुरम्मत/बढ़ोतरी आदि हेतू अनुदान के पात्र होंगे, लेकिन एक वर्ष के अंतराल में श्रीमति निर्मला पत्नी फूल चन्द वासी गांव दिनारपुर, तहसील साहा, जिला अम्बाला, श्रीमति सिन्द्रो पत्नी सतपाल वासी गांव लण्ढ़ा, तहसील साहा जिला अम्बाला, श्री राजेश पुत्र ओम प्रकाश वासी गांव पिलखनी, तहसील साहा, जिला अम्बाला, श्रीमति जसवन्ती पत्नी महावीर वासी गांव दुखेड़ी, तहसील अम्बाला छावनी, जिला अम्बाला, श्रीमति उषा देवी पत्नी तरसेम वासी गांव दुखेड़ी, तहसील अम्बाला छावनी, जिला अम्बाला व श्रीमति उषा पत्नी इकबाल सिहं वासी गांव सुरगल, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला नें राशि 50,000 -50,000 रूपये प्रति लाभार्थी कुल 3,00,000/- रूपये की राशि दोबारा प्राप्त की जानी पाई गई है।

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

लाभार्थियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत दोहरी राशि श्रीमति सुषमा रानी, उप अधीक्षक, श्री मति दीपिका, श्री प्रमोद (मृतक) व श्रीमति रूमाल कौर सभी तहसील कल्याण अधिकारी व श्री कमल कुमार, श्री शीश पाल दोनों जिला कल्याण अधिकारी के कार्यकाल में प्राप्त की गई है। उपरोक्त राशि की दोहरी अदायगी के सम्बंध में दौराने जांच पाया गया है कि लाभार्थी सिन्द्रो देवी पत्नी सतपाल वासी गांव लण्डा द्वारा प्राप्त की गई दोहरी राशि जी.आर.एन. न. 0080025107 दिनांक 02.08.2021 अनुसार 49,000/- रूपये व जी.आर.एन. न. 0080025693 दिनांक 02.08.2021 अनुसार 1000/- रूपये कुल 50,000/- रूपये की रिकवरी विभाग को वापिस की जा चुकी है। इसी प्रकार लाभार्थी उषा रानी पत्नी श्री इकबाल सिहं वासी गांव सुरगल, तहसील नारायणगढ़ द्वारा जी.आर.एन. न. 0108184 दिनांक 09.10.2023 अनुसार 50,000/- रूपये की रिकवरी विभाग को वापिस की जा चुकी है।

जांच के दौरान श्री कमल कुमार, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला व श्रीमति रूमाल कौर, तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी नारायणढ़/बराड़ा द्वारा अपनें-अपनें कथनों में अकित करवाया गया था कि वह समीर बक्शी वासी गांव कम्बासी को नही जानते व न ही इनकी समीर बक्शी से मोबाईल फोन के माध्यम से कोई बात-चीत हुई है। एजैंट समीर बक्शी के मोबाईल न. 8700635670 दिनांक 20.01.2021 से 19.01.2023 तक की काल डिटेल प्राप्त की गई। काल डिटेल अनुसार रूमाल कौर व समीर बक्शी की दिनांक 09.08.2021 से लेकर दिनांक 30.05.2022 तक आपस में मोबाईल फोन के माध्यम से 39 बार तथा समीर बक्शी व श्री कमल कुमार, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला की दिनांक 29.05.2021 से 29.12.2022 तक आपस में 177 बार काल व मैसेज होनें पाये गये हैं। एजैंट समीर बक्शी की उपरोक्त सी.डी.आर. अनुसार एजैंट सतीश कुमार @ रवि पुत्र श्री जसमेर सिहं वासी गांव अधोया मुसलमान, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला आपस में 3916 बार आपस में बात-चीत होनी पाई गई है। उपरोक्त सी.डी.आर. से स्पष्ट है कि एजैंट समीर बक्शी श्री कमल कुमार, जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला, श्रीमति रूमाल कौर, तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा व नारायणगढ़ तथा एजैंट सतीश कुमार कुमार @ रवि वासी अधोया मुसलमान के सम्पर्क में रहा है। उक्त मोबाईल नम्बरो की सी.डी.आर., उपभोक्ता आवेदन फार्म व प्रमाण पत्र धाराधीन 65-बी. मय विश्लेषण रिपोर्ट आगामी आवश्यकता हेतू पूर्व में ही सम्बंधित सेवा प्रदाताओं से प्राप्त करके सी.डी. तैयार की गई ।

आरोप की पड़ताल के दौरान ‘डाक्टर भीमराव अम्बेडकर मकान नवीनीकरण योजना’ के क्रियान्वयन के दौरान जिला कल्याण विभाग, अम्बाला के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा कार्यालय प्रधान

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

सचिव एंव आयुक्त अनुसूचित जाति एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं/दिशा-निर्देशों की पालना न करके निम्नलिखित आवेहलनायें करते हुये लाभार्थियों की अनुदान राशि स्वीकृत करके उनके बैंक खातों में भेजी जानी पाई गई हैः-

1. अधूरे आवेदन पत्रों के आधार पर लाभार्थियों को अनुदान राशि जारी की गई है।
2. आवेदकों के मकानों का मौका पर निरीक्षण किये बिना अपात्र आवेदकों के आवेदन स्वीकृत करके अनुदान राशि जारी की गई है।
3. 06 लाभपात्रों को एक वर्ष के अंतराल में दो बार अनुदान राशि रीलीज की गई है।
4. लाभार्थियों के बैंक खातों में अनुदान राशि प्राप्त होनें उपरांत लगभग 50 प्रतिशत अनुदान राशि लाभार्थियों से एजैंटों के माध्यम से स्वंय प्राप्त की गई है।
5. लाभार्थियों से प्रयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करके सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा स्वयं के झूठे प्रयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को सौंपे गये हैं।

उपरोक्त प्राप्त किये गये कथनों व साक्ष्यों के आधार पर पाया गया है कि श्री कमल कुमार व श्री शीशपाल दोनों तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला, श्रीमति रूमाल कौर, श्रीमति दीपिका व श्री प्रमोद कुमार (मृतक) तीनों तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी बराड़ा व श्रीमति सुषमा रानी, उप अधीक्षक कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला, एजैंट सतीश कुमार उर्फ रवि पुत्र जसमेर सिहं वासी गांव अधोया मुसलमान, थाना बराड़ा, जिला अम्बाला, समीर बक्शी उर्फ मन्नु वासी वासी गांव कम्बासी, थाना बराड़ा, जिला अम्बाला, जसविन्द्र उर्फ बिन्दर पूर्व पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत कम्बासी वासी गांव कम्बासी, थाना बराड़ा, जिला अम्बाला, धर्मराज पुत्र सावन राम (मृत्यु लगभग 7-8 महीनें पूर्व), गुरचरण सिहं पुत्र श्री सन्तोख सिहं वासी गांव साबांपुर, थाना मुलाना, जिला अम्बाला, राजेश कुमार पुत्र श्री जीत राम वासी गांव खानपुर ब्राह्मणा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, सुभाष चन्द पुत्र राम किशन वासी गांव सुरगल, थाना नारायणगढ़, जिला अम्बाला, राम कुमार पुत्र श्री फकीरिया राम वासी गांव बिंजल पुर, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला, सुरेश कुमार वासी गांव जलबेहड़ा जिला अम्बाला व अश्वनी @विक्की पुत्र श्री बलवन्त राम वासी म.न. 127, गांव धूलकोट, थाना बलदेव नगर, जिला अम्बाला से मिलीभगत करके अपनें-अपनें पदों का दुरूपयोग करके अपात्र लाभार्थियों के आवेदनों की रिपोर्ट सही दर्शा कर उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये अपात्र व अधूरे आवेदन आन-लाईन करनें वाले 55 लाभार्थियों के बैंक खातों में मुबलिग 31,40,000/-रूपये की राशि ट्रांसफर करवा कर, सम्बधित तहसील अधिकारियों द्वारा गलत प्रयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में प्रस्तुत करके व अनुदान

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

राशि स्वीकृत करनें पश्चात लाभार्थियों रविदत पुत्र श्री जयपाल वासी गांव ठाकुरपुरा, हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिहं वासी गांव ठाकुरपुरा, सतपाल पुत्र झण्डु वासी गांव ठाकुरपुरा, लाभार्थी रामेशवर पुत्र कृष्ण वासी गांव ठाकुरपुरा, कृष्ण कुमार पुत्र श्री मंगत राम वासी गांव ठाकुरपुरा, सन्जीव कुमार पुत्र श्री दसौंधी राम वासी गांव ठाकुरपुरा, कर्म सिहं पुत्र सौंधी राम वासी गांव ठाकुरपुरा, अली हसन पुत्र जुलफकार अली वासी गांव ठाकुरपुरा, उषा रानी पत्नी श्री ईकबाल वासी गांव सुरगल, लाभार्थी सुरिन्द्र पुत्र राम प्रकाश वासी गांव कम्बास, सुरिन्द्र पुत्र जागेश्वर वासी गांव कम्बासी के अतिरिक्त अन्य लाभार्थियों श्रीमति पुष्पा रानी पत्नी श्री ईश्वर कुमार वासी गांव तोलांवाली डा0 कम्बासी थाना बराड़ा, रजत के पिता श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री राम किशन वासी गांव सुरगल, थाना नारायणगढ़, जिला अम्बाला, अवनीश पुत्र किशना राम वासी गांव ठाकुर पुरा, जिला अम्बाला,लवली पुत्र श्री रामेश्वर वासी गांव ठाकुरपुरा थाना मुलाना, जिला अम्बाला से लगभग आधी राशि एजैटों के माध्यम से प्राप्त करके स्वंय व एजैटों को लाभ पहुंचा कर सरकारी धन राशि का गबन करके धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी. भा.द.स. व 13(1) डी., 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधीनियम-1988 के अन्तर्गत अपराध किया है। इस लिये श्री कमल कुमार, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला पुत्र श्री राम लाल वासी म.न. 916, वार्ड न. 35, जनता कालोनी, रोहतक हाल टावर-ई, फ्लैट न. 103, सुषमा ग्रैंडे, जीरक पुर, जिला मोहाली (पंजाब), श्री शीश पाल, जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला पुत्र श्री महां सिहं वासी गांव बसताड़ा, जिला करनाल, श्रीमति रूमाल कौर, तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा/नारायणगढ़, श्रीमति दीपिका, तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा, श्रीमति सुषमा, उप अधीक्षक कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला, एजैंट सतीश कुमार उर्फ रवि पुत्र जसमेर सिहं वासी गांव अधोया मुसलमान, एजैंट समीर बक्शी उर्फ मन्नु पुत्र विजय कुमार वासी गांव कम्बासी, एजैंट जसविन्द्र सिंह उर्फ बिन्दर पूर्व पंच पुत्र श्री प्रहलाद सिंह वासी गांव कम्बासी, थाना बराड़ा, जिला अम्बाला, एजैंट गुरचरण सिहं पुत्र श्री सन्तोख सिहं वासी गांव साबांपुर, थाना मुलाना, जिला अम्बाला, एजैंट राजेश कुमार पुत्र श्री जीत राम वासी गांव खानपुर ब्राहमणा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, एजैंट सुभाष चन्द पुत्र राम किशन वासी गांव सुरगल, थाना नारायणगढ़, जिला अम्बाला, एजैंट राम कुमार पुत्र श्री फकीरिया राम वासी गांव बिंजल पुर, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला व एजैंट सुरेश कुमार वासी गांव जलबेहड़ा जिला अम्बाला व एजैंट अश्वनी @विक्की पुत्र श्री बलवन्त राम वासी म.न. 127, गांव धूलकोट, थाना बलदेव नगर, जिला अम्बाला के विरूध धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी. भा.द.स. व 13(1)डी., 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधीनियम-1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

किये जाने की संस्तुति की गई थी अभियोग के अनुसंधान के दौरान उपरोक्त सत्यापित किये जा चुके आवेदनों के साथ-साथ कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला द्वारा दिनांक 04.05.2018 से दिनांक 18.02.2022 तक जिन-जिन आवेदन पत्रों के आधार पर अनुदान राशि जारी की गई है उन सभी आवेदन पत्रों को भी अनुसंधान में शामिल कर लिया जाये व अनुसंधान के दौरान यदि किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी/प्राईवेट व्यक्ति की सलिप्तता पाई जाये तो उसे भी देख लेने की जांच अधिकारी द्वारा संस्तुति की गई थी ।

इसी प्रकार आऱोप न. 02 मे पाया गया कि आरोप की पड़ताल के दौरान प्राप्त किये गये दस्तावेजों, अंकित किये गये कथनों व किये गये सत्यापन से पाया गया है कि आसूचना रिपोर्ट में वर्णित गांव ठाकुर पुरा के निम्नलिखित गांव वासियों द्वारा निम्न तालिका अनुसार डा.भीम राव अम्बेडकर मकान नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि प्राप्त की गई हैः-

क्र0 सं0 लाभार्थी का नाम Unique ID Number पति/पिता का नाम गांव तहसील कल्याण अधिकारी का नाम वितरित की गई राशि किस वर्ष लाभ दिया गया

1 श्रीमती पूर्णी देवी 5NAA0F श्री रामेश्वर ठाकुरपुर दीपिका 25,000/- 2018-19

2 श्री लवली IMAQ6P श्री रामेश्वर ठाकुरपुर दीपिका 25,000/- 2018-19

3 श्री रामेश्वर QOBCT6 श्री कृष्ण ठाकुरपुर दीपिका 50,000/- 2021-22

4 श्री समय सिंह QNBCT7 श्री अर्जुन सिंह ठाकुरपुर दीपिका 50,000/- 2021-22

5 श्री हरजिन्द्र सिंह QNBAAA श्री अर्जुन सिंह ठाकुरपुर दीपिका 50,000/- 2021-22

आरोप के सम्बंध में श्रीमति दीपिका, तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा अपनें कथन में अकित करवाया गया है कि तहसील कल्याण अधिकारी पोर्टल पर उपरोक्त तालिका में क्रम सं0 1, 2 व 3 पर दर्शाये गये तीनों आवेदको के आवेदन अलग-अलग तिथियों को प्राप्त हुए थे तथा उसके द्वारा विभागीय हिदायतों का पालन करते हुए तीनों बार मौका किया गया था। तीनों आवेदकों द्वारा मकान के जो फोटों संलग्न किए गए थे, तीनों आवेदनों में ही अलग-अलग रिहायशी मकान दिखाए गए थे। दस्तावेजों में सलग्न की गई मकान की फोटो अनुसार उसके द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था। जिस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि तीनों लाभार्थी एक ही मकान में रह रहे हैं। जिस कारण तीनों लाभार्थी श्रीमति पूर्णी देवी पत्नी रामेश्वर, श्री लवली पुत्र श्री रामेश्वर व श्री रामेश्वर पुत्र श्री कृष्ण एक ही मकान में रहते हुए उक्त योजना के अंतर्गत क्रमशः 25000/-रु0, 25000/-रु0 व 50000/-रु० (कुल 100000/- रु०) लाभ लेने में

सफल रहे। आवेदक श्री लवली कुमार पुत्र रामेश्वर व श्री रामेश्वर पुत्र कृष्ण वासीयान गांव ठाकुरपुरा द्वारा ली गई अनुदान राशि बारे कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला द्वारा अपनें कार्यालय के पत्र क्रमांक 2025/390 दिनांक 04.02.2025 अनुसार अवगत करवाया गया है कि लवली कुमार पुत्र रामेश्वर द्वारा रिकवरी राशि 25,000/- रूपये चालान संख्या 093212173 दिनांक 27.03.2023 व श्री रामेश्वर पुत्र कृष्ण द्वारा रिकवरी राशि 49,000/- रूपये चालान संख्या 124604991 दिनांक 21.08.2023 व रिकवरी राशि 1,000/- रूपये चालान संख्या 125519634 दिनांक 21.08.2023 अनुसार सरकारी खजाना में जमा करवाई जानी पाई गई है।

श्रीमति दीपिका, तहसील कल्याण अधिकारी के उक्त कथन की सत्यतता जाननें के लिये कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला से आवेदक पूर्णी देवी, लवली कुमार व रामेश्वर वासीयान गांव ठाकुर पुरा द्वारा किये गये आवेदन उपलब्ध करवानें बारे पत्राचार किये गया। जिस पर कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला द्वारा अवगत करवाया गया है कि मैनुअल दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नही हैं व पूर्णी देवी पत्नी रामेश्वर व लवली पुत्र रामेश्वर वासी गांव ठाकुरपुरा, जिला अम्बाला से सम्बंधित सरल आई.डी. भी नही है, जिस कारण उपरोक्त आवेदकों के दस्तावेज निदेशालय से नही मंगवाये जा सके। पत्र के साथ सलंग्न आवेदक रामेश्वर पुत्र कृष्ण वासी ठाकुर पुरा के आवेदन के अवलोकल से भी पाया गया है कि आवेदन में मकान की कोई भी फोटो सलंग्न नही है लेकिन श्रीमति दीपिका द्वारा अपनें कथन में आवेदकों द्वारा किये गये आवेदनों में अलग-अलग मकान का फोटो संलग्न होनें बारे अकित करवाया है, जिस कारण श्रीमति दीपिका, तहसील कल्याण अधिकारी के उपरोक्त कथन में कोई भी सत्यतता नही पाई गई।

आसूचना रिपोर्ट में आवेदक श्री समय सिंह व श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्रान अर्जुन सिंह वासियान गांव ठाकुरपुरा का वर्णन किया गया है उस सम्बंध में श्रीमति दीपिका, तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा अपनें कथन में अकित करवाया है कि उपरोक्त दोनों भाईयों द्वारा उपरोक्त योजना के अंतर्गत अनुदान राशि लेने के लिए एक साथ आवेदन किया गया था। दौराने मौका पाया गया कि दोनों भाईयों के घर का प्रवेश द्वार एक ही है लेकिन दोनों भाई अलग-अलग मकान में रहनें पाए गए थे व इनके राशनकार्ड भी अलग-अलग बने हुए है। इसी प्रकार आसूचना रिपोर्ट में अंकित कर्म सिह व सजीव कुमार पुत्रान सौंदी राम वासीगण गांव ठाकुरपुरा के सम्बंध में किये गये सत्यापन पर पाया गया है कि कर्म सिहं कस्बा साहा में आटो चलाता है जिसके हिस्से के मकान उसके पैतृक गांव ठाकुर पुरा (क्लालटी) में ही हैं व कर्म सिहं इस समय वह कस्बा साहा में किराये पर रह रहा है। कर्म सिहं व सजीव कुमार दोनों

भाईयों के मकान आस पास बनें हुये हैं व मौका पर कर्म सिहं के मकान पर ताला लगा हुआ है। दोनों भाईयों के राशन कार्ड भी अलग-अलग बनें हुये हैं। अतः इस सम्बंध में किये गये सत्यापन पर श्री समय सिंह व श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्रान अर्जुन सिंह व कर्म सिह व सजीव कुमार पुत्रान सौंदी राम वासीगण गांव ठाकुरपुरा (क्लालटी) स्वंय के अलग-अलग मकानों पर अनुदान राशि प्राप्त की जानी पाई गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक लवली कुमार पुत्र रामेश्वर व रामेश्वर पुत्र कृष्ण द्वारा श्रीमति दीपिका, तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा के साथ मिलीभगत करके, आवेदकों द्वारा एक ही मकान पर दोहरा व तीहरा लाभ लेनें के लिये योजना पोर्टल पर आवेदन करके तथा श्रीमति दीपिका द्वारा लाभपात्र लवली कुमार पुत्र रामेश्वर व रामेश्वर पुत्र कृष्ण वासी गांव ठाकुर पुरा, जिला अम्बाला द्वारा किये गये गलत आवेदनों को बिना सत्यापन किये स्वीकृत करके अनुदान राशि स्वीकृति हेतू अनुदान केसों को कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला में भिजवा कर, गलत आवेदन फार्मों के आधार पर अनुदान राशि 25,000/- रूपये व 50,000/- रूपये स्वीकृत करवा कर धारा 409, 420, 120-बी भा.द.स. व 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधीनियम-1988 का अपराध किया गया है। जिस कारण श्रीमति दीपिका, तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा, लवली कुमार पुत्र रामेश्वर व रामेश्वर पुत्र कृष्ण वासीयान गांव ठाकुरपुरा के विरूध धारा 409, 420, 120-बी भा.द.स. व 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधीनियम-1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित जाने व अभियोग के अनुसंधान के दौरान यदि इसी प्रकार का कोई अन्य केस सामनें आये तो उस बारे गहनता से अनुसंधान किये जानें व यदि किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी/प्राईवेट व्यक्ति की सलिप्तता पाई जाये तो उसे भी देख लेने की संस्तुति की गई थी ।

इस बारे अंतिम रिपोर्ट पुलिस महानिर्देशक,राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला के पत्र क्रमांक 21522/आई-1/रा.चौ एवं भ्र नि.ब्यूरो(ह) दिनाक 31.10.2025 के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी । जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा उनके कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 38/01/2022-3 चौकसी-1 से दिनाक 02.07.2026 से व पुलिस महानिर्देशक,राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमाक 13412/आई-1/ रा.चौ एवं भ्र नि.ब्यूरो(ह) दिनाक 09.07.2026 के अनुसार उपरोक्त धाराओ के तहत अभियोग अकित करने के आदेश प्राप्त हुए है ।

अत : श्री कमल कुमार, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला पुत्र श्री राम लाल वासी म.न.

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

916, वार्ड न. 35, जनता कालोनी, रोहतक हाल टावर-ई, फ्लैट न. 103, सुषमा ग्रैंडे, जीरक पुर, जिला मोहाली (पंजाब), श्री शीश पाल, जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला पुत्र श्री महां सिहं वासी गांव बसताड़ा, जिला करनाल, श्रीमति रूमाल कौर, तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा/नारायणगढ़, श्रीमति दीपिका, तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा, श्रीमति सुषमा, उप अधीक्षक कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला, एजैंट सतीश कुमार उर्फ रवि पुत्र जसमेर सिहं वासी गांव अधोया मुसलमान, एजैंट समीर बक्शी उर्फ मन्नु पुत्र विजय कुमार वासी गांव कम्बासी, एजैंट जसविन्द्र सिंह उर्फ बिन्दर पूर्व पंच पुत्र श्री प्रहलाद सिंह वासी गांव कम्बासी, थाना बराड़ा, जिला अम्बाला, एजैंट गुरचरण सिहं पुत्र श्री सन्तोख सिहं वासी गांव साबांपुर, थाना मुलाना, जिला अम्बाला, एजैंट राजेश कुमार पुत्र श्री जीत राम वासी गांव खानपुर ब्राहमणा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, एजैंट सुभाष चन्द पुत्र राम किशन वासी गांव सुरगल, थाना नारायणगढ़, जिला अम्बाला, एजैंट राम कुमार पुत्र श्री फकीरिया राम वासी गांव बिंजल पुर, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला व एजैंट सुरेश कुमार वासी गांव जलबेहड़ा जिला अम्बाला व एजैंट अश्वनी @विक्की पुत्र श्री बलवन्त राम वासी म.न. 127, गांव धूलकोट, थाना बलदेव नगर, जिला अम्बाला के विरूध धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी. भा.द.स. व 13(1)डी., 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधीनियम-1988 के अन्तर्गत o लवली कुमार पुत्र रामेश्वर व रामेश्वर पुत्र कृष्ण वासीयान गांव ठाकुरपुरा के विरूध धारा 409, 420, 120-बी भा.द.स. व 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधीनियम-1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित djus व अभियोग के अनुसंधान के दौरान यदि इसी प्रकार का कोई अन्य केस सामनें आये तो उस बारे गहनता से अनुसंधान किये जानें व यदि किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी/प्राईवेट व्यक्ति की सलिप्तता पाई जाये तो उसे भी देख लेने बारे लेख प्रस्तुत है जिस पर अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी जाए ।

-sd-

निरीक्षक (राजेश कुमार)
रा.स.एंव.भ.नि ब्यूरो
अम्बाला मण्डल अम्बाला ।
दिनाक 30.07.2026

समय-2.10 पी.एम

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

अज थाना-इस समय एक टाईप शुदा तहरीर निरीक्षक राजेश कुमार थाना, राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला बर खिलाफ 1. श्री कमल कुमार, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला पुत्र श्री राम लाल वासी म.न. 916, वार्ड न. 35, जनता कालोनी, रोहतक हाल टावर-ई, फ्लैट न. 103, सुषमा ग्रैंडे, जीरक पुर, जिला मोहाली (पंजाब), 2. श्री शीश पाल, जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला पुत्र श्री महां सिहं वासी गांव बसताड़ा, जिला करनाल, 3. श्रीमति रूमाल कौर तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा/नारायणगढ़,4. श्रीमति दीपिका, तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी, बराड़ा, 5. श्रीमति सुषमा, उप अधीक्षक कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला, 6. एजैंट सतीश कुमार उर्फ रवि पुत्र जसमेर सिहं वासी गांव अधोया मुसलमान, 7. एजैंट समीर बक्शी उर्फ मन्नु पुत्र विजय कुमार वासी गांव कम्बासी, 8. एजैंट जसविन्द्र सिंह उर्फ बिन्दर पूर्व पंच पुत्र श्री प्रहलाद सिंह वासी गांव कम्बासी, थाना बराड़ा, जिला अम्बाला, 9. एजैंट गुरचरण सिहं पुत्र श्री सन्तोख सिहं वासी गांव साबांपुर, थाना मुलाना, जिला अम्बाला, 10. एजैंट राजेश कुमार पुत्र श्री जीत राम वासी गांव खानपुर ब्राहमणा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, 11. एजैंट सुभाष चन्द पुत्र राम किशन वासी गांव सुरगल, थाना नारायणगढ़, जिला अम्बाला, 12. एजैंट राम कुमार पुत्र श्री फकीरिया राम वासी गांव बिंजल पुर, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला व 130 एजैंट सुरेश कुमार वासी गांव जलबेहड़ा जिला अम्बाला व 14. एजैंट अश्वनी @विक्की पुत्र श्री बलवन्त राम वासी म.न. 127, गांव धूलकोट, थाना बलदेव नगर, जिला अम्बाला के विरूध धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी. भा.द.स. व 13(1)डी., 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधीनियम-1988 के अन्तर्गत व लवली कुमार पुत्र रामेश्वर व रामेश्वर पुत्र कृष्ण वासीयान गांव ठाकुरपुरा के विरूध धारा 409, 420, 120-बी भा.द.स. व 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधीनियम-1988 का होना पाया जाने पर थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 16 दिनांक 30.07.2025 धारा 409,420,467,468,471,120B IPC व 13(1)डी., 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधीनियम-1988 थाना रा.स.एंव भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति ई-मेल के माध्यम से सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब अम्बाला भेजी जा रही है व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख रखी गई जो आने पर आगामी अनुसंधान हेतू हवाले निरीक्षक प्रवीन कुमार थाना रा.स.एंव भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला की जाएगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी। यह अभियोग निरीक्षक चन्द्र शेखर थाना रा.स.एंव भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है।

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** **or (या)**

Rank (पद): I (Inspector)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** PARVEEN KUMAR

No. (सं.): 728KNL **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919996711100

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

District (ज़िला):

(4) **Transferred to P.S. (थाना):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Pardeep Yadav

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					**Is pox pitted:** Yes
2	Male					**Is pox pitted:** Yes
3	Male					**Is pox pitted:** Yes
4	Male					**Is pox pitted:** Yes

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

5	Male					**Is pox pitted:** Yes
6	Male					**Is pox pitted:** Yes
7	Male					**Is pox pitted:** Yes
8	Male					**Is pox pitted:** Yes
9	Male					**Is pox pitted:** Yes
10	Male					**Is pox pitted:** Yes
11	Male					**Is pox pitted:** Yes
12	Female					**Is pox pitted:** Yes
13	Female					**Is pox pitted:** Yes
14	Female					**Is pox pitted:** Yes
15	Male					**Is pox pitted:** Yes
16	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)